न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर,
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 467/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जोराराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सोनलपुरा राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर		1–ठाकराराम पुत्र मंगलाराम 2–मूमल पत्नी मंगलाराम 3–पांचाराम पुत्र रामाकिशन 4–मोहनराम पुत्र रामाकिशन 5–जोराराम पुत्र रामाकिशन 6–सुगनाराम पुत्र रामाकिशन सभी जाति विश्नोई निवासीगण सोनलपुरा राणेरी, तहसील बाप जिला जोधपुर 7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–4–2015 जो उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 4/2014 अनवान ठाकराराम वगैरा बनाम तहसीलदार बाप वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 30–8–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 6) के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 579/1 रकबा 112 बीघा सरहद मौजा ग्राम सोनलपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप मे स्थित है । उक्त भूमि की राजस्व नक्शा मे अलग से तरमीम हो रखी है । उक्त भूमि के पडौस मे ही उक्त खसरा नंबर की शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 2 (वर्तमान अपीलांट) के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 579 रकबा 112.08 बीघा व खसरा नंबर 579/2 रकबा 60 बीघा कुल 172.08 बीघा भूमि स्थित है । वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह उल्लेख किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के आपस मे उक्त भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ उक्त भूमि की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार बाप से दिनांक 13–11–2013 को पटवारी हल्का राणेरी के नाम आदेश जारी करवाया जिसकी पालना मे पटवारी हल्का ने दिनांक 15–12–2013 को मौके पर चल कर उक्त भूमि

के पडौसियो, मौतबिरान के रूबरू उक्त भूमि की विधि अनुसार पैमाईश कर मौके पर निशानात कायम करवाये और तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार अपने खातेदारी की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–4–15 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार बाप को आदेशित किया कि ग्राम सोनलपुरा पटवारी हल्का राणेरी स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 579/1 रकबा 112 बीघा भूमि की हल्का पटवारी एवं आर.आई. की टीम गठित कर मय पुलिस इमदाद उक्त खसरान की भूमि मुस्तकील बिन्दु से पुनः पैमाईश कर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करा देवे । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–4–2015 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम सोनलपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप के खसरा नंबर 579 रकबा 284.08 बीघा था जबकि अपीलाधीन आदेश खसरा नंबर 579/1 रकबा 112 बीघा भूमि की पत्थरगढी के संबंध मे पारित किया गया है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि का मूल खातेदार मंगलाराम पुत्र प्रतापाराम थे जो अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 के पिता थे । स्व0 खातेदार मंगलाराम के तीन पुत्र कमशः जोराराम (वर्तमान अपीलांट), ठाकराराम (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) एवं बगडुराम था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन मूल खसरा नंबर 579 का कभी कोई बंटवाडा नही हुआ । एक बंटवाडा स्व0 मंगलाराम के जीवनकाल मे पेश किया गया जिसमे उक्त खसरा नंबर 579 मे तीनो पुत्रो के बंट मे कमशः खसरा नंबर 112.08, 112 एवं 60 बीघा भूमि रखी तथा उक्त बंटवाडे का म्युटेशन संख्या 105 दिनांक 16–7–84 को तहसीलदार फलौदी द्वारा अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि बंटवाडा केवल सहखातेदारो के बीच ही होता है जबकि मंगलाराम के पुत्र सहखातेदार नही थे । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त अस्वीकृत किये गये म्युटेशन संख्या 105 की कोई अपील अब तक नही की है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ठाकराराम ने दिनांक 2–7–2013 एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 53 आर.टी.एक्ट का उपखण्ड अधिकारी बाप मे पेश किया तथा उक्त दावे के साथ जो नक्शा ट्रेस पेश किया उसमे खसरा नंबर 579, 579/1 एवं 579/2 एक ही खसरा था उसमे कोई तरमीम नही थी तथा उक्त दावे की इस्तदुआ भी यह थी कि खसरा नंबर 579 की तरमीम की जावे । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त दावे मे वर्तमान अपीलांट की ओर से जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम भी पेश किया तथा

जवाब मे निवेदन किया कि पूर्व मे कोइ बंटवाडा उनके बीच नही हुआ तथा वर्ष 1984 मे उसके पिता द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा का नामांतरकरण भी खारीज हो चुका था अतः मिन्ट्स एण्ड बाऊन्ड के आधार पर बंटवाडा कराया जाये परंतु उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रस्तुत दावे को वादी (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) ने दिनांक 17–6–2014 को विड्रो कर लिया तथा उपखण्ड अधिकारी बाप ने वर्तमान अपीलांट के काउन्टर क्लेम को निर्णित किये बिना ही मूल दावा जरिये विड्रोवल के खारीज कर दिया । उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा दावे मे पारित आदेश दिनांक 17–6–2014 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर मे अपील पेश की जाने पर उक्त अपील को दिनांक 30–1–18 को इस आधार पर खारीज कर दी कि दावा जरिये विड्रोवल के खारीज किया गया है न कि डिक्री जारी हुई है इसलिए उक्त अपील को मेन्टेनेबल नही मानते हुए खारीज कर दी जाने पर उपखण्ड अधिकारी बाप के निर्णय दिनांक 17–6–2014 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल मे निगरानी पेश की गई जो विचाराधीन है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे उपरोक्त तथ्यो को प्रकट करते हुए निवेदन किया कि खसरा नंबर 579 का अभी भी विधिवत बंटवाडा नही हुआ है और न ही विधिवत बंटवाडे का दस्तावेज रेकर्ड पर है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष दिनांक 16–1–2014 को जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पत्थरगढी कराने का पेश किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 15–12–2013 की सीमांकन रिपोर्ट पेश की, उक्त सीमांकन रिपोर्ट मे भी खसरा नंबर 579/1 रकबा 112 बीघा भूमि मे से मौके पर 94.05 बीघा भूमि ही पाई गई तथा उक्त खसरे की 17.15 बीघा भूमि वर्तमान अपीलांट जोराराम के कब्जे मे बताई गई है फिर भी उक्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पक्षकार अवश्य बनाया तथा अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे वकालातनामा भी प्रस्तुत किया लेकिन जवाब लिये बिना तथा अपीलांट के अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय मे सुने बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने पुनः न्यायालय से निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ठाकराराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रस्तुत दावे के साथ जो नक्शा पेश किया था उसमे कोई तरमीम नही थी तथा वादी स्वयं ने धारा 53 आर.टी.एक्ट बंटवाडा का वाद पेश किया था तथा उक्त वाद मे खसरा नंबर 579 की तरमीम करवाने का निवेदन किया था तथा उक्त दावे के साथ प्रस्तुत नक्शा लट्ठा ट्रेस की नकल दिनांक 24–2–2012 को जारी की गई तथा दावा प्रस्तुत होने तक वर्ष

2013 तक कोई तरमीम नही होना दावे मे कथन किया तो वर्ष 2014 मे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा लट्ठा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की गई उसमे खसरा नंबर 579 का तरमीम सुदा नक्शा प्रस्तुत हुआ है परंतु उक्त तरमीम कैसे, किसके आदेश से तथा कब हुई, ऐसा कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नही है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि बंटवाडे के आधार पर म्युटेशन संख्या 105 भरकर पेश किया था जिसे तहसीलदार फलोदी ने दिनांक 16–7–84 को ही खारीज कर दिया था तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के बंटवाडे के संबंध मे एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे विचाराधीन है तथा आज तक अपीलाधीन खसरा नंबर 579 की विधिवत तरमीम नही है तथा उक्त पूरा खसरा रिकार्ड मे एक ही है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम को जो प्रार्थना पत्र पेश किया उस प्रार्थना पत्र मे रेस्पो0 द्वारा यह अंकित किया गया कि मौके पर पडौसी खातेदारो द्वारा विवाद होने से पत्थरगढी नही हो रही है तो ऐसी स्थिति मे पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था परंतु सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न रेस्पो0 ठाकराराम द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की छायाप्रति, उक्त वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे की छायाप्रति, उक्त वाद मे प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम जोराराम, उक्त वाद को दिनांक 17–6–14 को विड्रो के आदेश की छायाप्रति, नक्शा खसरा नंबर 579, म्युटेशन संख्या 105 जो बंटवाडे का भरा गया जिसे तहसीलदार फलोदी द्वारा अस्वीकृत किया, की छायाप्रति, राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर का निर्णय, एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी आदि की छायाप्रतियां आदि पेश की ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्तमान अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी थी तथा उनको जवाब पेश करने हेतु लगभग 12–13 अवसर दिये गये थे परंतु इनकी ओर से कोई जवाब पेश नही किया जाने पर जवाब बंद किया जाकर विधिवत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो को रेकर्ड पर लेने बाबत आपत्ति प्रकट करते हुए कथन किया कि उक्त दस्तावेजात बिना प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किये है इसलिए इसे नही पढा जाये ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ जो सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 15–12–2013 पेश की गई है उसमे रेस्पो0 का कब्जा कम होना बताया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानो के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील ठोस आधारो पर प्रस्तुत नही किये जाने से उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रिबेटल बहस मे अपीलांट के अधिवक्ता ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 मे पैमाईश के प्रावधानो की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि यदि पैमाईश रिपोर्ट निर्विवादित हो तो उसके आधार पर धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी के आदेश पारित किये जा सकते है तथा यह भी कथन किया कि यदि सीमांकन रिपोर्ट मे पजेशन पडौसी का पाया जाये तो धारा 183 आर.टी.एक्ट मे दावा करना पडेगा । इसके अलावा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई एवं जवाब पेश करने का अवसर नही दिया गया इसलिए इस न्यायालय मे जो दस्तावेजात फार्म नंबर 3 के साथ पेश किये है, वे मात्र पूर्व के न्यायालयो के निर्णय एवं प्रस्तुत वाद एवं दस्तावेजात की प्रतियां न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की है, जिनको पढा जाना आवश्यक है । रिबेटल बहस मे यह भी कथन किया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम भी पेंडिम है तथा निगरानी राजस्व मण्डल मे अभी पेण्डिंग है जिसका कोई खण्डन अपीलांट अधिवक्ता ने नही किया है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया । रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार बाप एवं वर्तमान अपीलांट जोराराम को पक्षकार बनाते हुए पेश किया, अन्य पडौसी खातेदारान को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 579/2 एवं 595/2 के खातेदार बगडाराम पि. मंगलाराम विश्नोई दर्शाया गया है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न जो सीमांकन मौका फर्द दिनांक 15–12–2013 प्रस्तुत की है उसमे अपीलाधीन खसरा नंबर 579/1 रकबा 112 बीघा भूमि मे से मौके पर 17.15 बीघा भूमि पर

वर्तमान अपीलांट जोराराम का कब्जा होना बताया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया कर दिया जबकि धारा 111 भू राजस्व अधिनियम के तहत निर्विवादित सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पत्थरगढी के आदेश पारित किये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन मे फार्म नंबर 3 के सलग्न जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये है उनका अवलोकन करने पर उक्त समस्त दस्तावेजात अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 579 ग्राम सोनलपुरा के संबंध मे है, जो कमशः रेस्पो0 ठाकराराम द्वारा तत्समय न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी प्रस्तुत वाद पत्र की छायाप्रति, उक्त वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे की छायाप्रति, उक्त वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 एवं वर्तमान अपीलांट जोराराम द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, उक्त वाद को दिनांक 17–6–14 को विड्रो करने के आदेश की छायाप्रति, नक्शा खसरा नंबर 579, म्युटेशन संख्या 105 जो बंटवाडे का भरा गया जिसे तहसीलदार फलोदी द्वारा अस्वीकृत किया, की छायाप्रति, राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर का निर्णय, एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत निगरानी आदि की छायाप्रतियां आदि जिन सभी मे रेस्पो0 गण भी पक्षकार है ऐसे मे उक्त दस्तावेजात को रेकर्ड पर लिया जाता है ।

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट है कि रेस्पो0 ठाकराराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष दिनांक 2–7–2013 को एक नियमित वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 53 आर. टी. एक्ट का उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष पेश किया तथा उक्त दावे के साथ जो नक्शा ट्रेस पेश किया उसमे खसरा नंबर 579 एक ही खसरा था उसमे कोई तरमीम नही थी, जो दिनांक 3–6–2013 तक (पटवारी राणेरी द्वारा जारी प्रमाणित प्रति) बिना तरमीम के था परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा दिनांक 16–1–2014 को प्रस्तुत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ जो नक्शा लट्ठा ट्रेस की सत्य प्रति प्रस्तुत की है उसमे 579/1 की तरमीम दर्शाई हुई है । राजस्व नक्शे मे उक्त तरमीम किसके आदेश से की गई ऐसा कोई आदेश रेकर्ड पर नही है और न ही रेस्पो0 अधिवक्ता अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत किया । ऐसे मे इस तथ्य की जांच करवाई जाना न्यायोचित समझते है ।

वकील अपीलांट ने जो दस्तावेजात पेश किये जिनके अवलोकन से यह भी प्रकट है कि रेस्पो0 संख्या 1 ठाकराराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष प्रस्तुत धारा 188, 92ए एवं 53 आर.टी.एक्ट के दावे मे वर्तमान अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जवाव के साथ एक क्लेम भी पेश किया था परंतु उपखण्ड अधिकारी बाप

के समक्ष प्रस्तुत दावे को वादी (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) ने दिनांक 17–6–2014 को विड्रो कर लिया तथा उपखण्ड अधिकारी बाप ने वर्तमान अपीलांट के काउन्टर क्लेम को निर्णित किये बिना ही मूल दावा जरिये विड्रोवल के खारीज कर दिया, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल मे निगरानी पेश की गई अथार्त अपीलाधीन भूमि के बंटवाडा का क्लेम आज भी लंबित होना बताया ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–4–2015 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि वर्तमान राजस्व ग्राम सोनलपुरा के खसरा नंबर 579 के राजस्व नक्शे मे बट्टा नंबर डालते हुए तरमीम किसके आदेश से की गई, इसकी जांच करे तथा अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 579 की सीमाज्ञान रिपोर्ट पडौसी सभी खातेदारान की उपस्थिति मे तैयार करवाकर प्राप्त करे तथा सभी पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःपत्थरगढी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–8–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर